तारीख हुकम	हुकम [illegible] जज
28/11/23	पत्रावली पेश हुइ अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमा उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 5/12/23 को पेश हो
5/12/23	पत्रावली पेश हुई वकील वादी अनुपस्थित पत्रावली वास्ते अन्तिम बहस दि. 11/12/23 को पेश हो।
11/12/23	पत्रावली पेश हुई वकील वादी अनु. पत्रावली वास्ते अन्तिम बहस दि. 27/12/23 को पेश हो।
27/12/23	पत्रावली पेश हुइ अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमा उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 19/1/24 को पेश हो
[illegible]/1/24	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप. बहस हेतु अवसर चाहा। पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम दि. 2/2/2024 को पेश हो।
[illegible]/24	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप. वकील वादी ने लिखित बहस को अन्तिम बहस हेतु निवेदन किया। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 9/2/24 को पेश हो।
[illegible]24	पत्रावली पेश हुइ अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमा उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 13/2/24 को पेश हो
	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई वकील वादी उप. वाद पत्र वादी रेकार्ड एवं साक्ष्यो के परिपेक्ष्य मे स्वीकार किया जाता। डीक्री किया जाता। निर्णय पृथक से

पत्रावली साबिक [illegible]

प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
न्यायालय सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर ह्रा० फा० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)
पीठासीन अधिकारी हरबिन्दर सी. सिंह (R.A.S)

मिसल नं0
06/दावा/2022

तारीख दायर
24.01.2022

तारीख फैसल
13.02.2024

1. कमल प्रकाश पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम सेदडी तहसील तालेडा जिला बून्दी, राजस्थान
2. कलावती पत्नी स्व0 दुर्गा शंकर जाति मीणा निवासी ग्राम सेदडी तहसील तालेडा जिला बून्दी, राजस्थान
3. जगनीबाई पत्नी गोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम सेदडी तहसील तालेडा जिला बून्दी, राजस्थान
4. गेन्दबिहारी, कालु लाल, हेमराज पिसरान स्व0 मोडु लाल पुत्र जगन्नाथ, जाति मीणा निवासी ग्राम सेदडी तहसील तालेडा जिला बून्दी, राजस्थान
5. रामजानकी, कश्मीर बाई, कलावती, रमेश बाई पुत्रीया स्व0 मोडु लाल पुत्र जगन्नाथ, जाति मीणा निवासी ग्राम सेदडी तहसील तालेडा जिला बून्दी, राजस्थान
6. रघुनन्दन पुत्र दुर्गाशंकर जाति मीणा निवासी ग्राम सेदडी तहसील तालेडा जिला बून्दी, राजस्थान
7. राममोहनी पुत्री दुर्गाशंकर जाति मीणा निवासी ग्राम सेदडी तहसील तालेडा जिला बून्दी, राजस्थान
8. संतोष पुत्र दुर्गाशंकर जाति मीणा निवासी ग्राम सेदडी तहसील तालेडा जिला बून्दी, राजस्थान

.......वादीगण

बनाम

1. भंवरा बाई पुत्री स्व0 प्रभु लाल जाति महाजन निवासी केशवराय मन्दिर के पास के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी, C/O परमेश्वर आ0 प्रभु लाल जाति महाजन निवासी ग्राम देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी, राजस्थान
2. विष्णु बाई पुत्री स्व0 प्रभु लाल जाति महाजन निवासी गणेशनगर कोटा जिला कोटा, C/O परमेश्वर आ0 प्रभु लाल जाति महाजन निवासी ग्राम देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी, राजस्थान
3. मनफुल बाई पुत्री स्व0 प्रभु लाल जाति महाजन निवासी केशवराय मन्दिर के पास के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी, C/O परमेश्वर आ0 प्रभु लाल जाति महाजन निवासी ग्राम देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी, राजस्थान
4. परमेश्वर आ0 प्रभु लाल जाति महाजन निवासी ग्राम देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी, राजस्थान
5. श्रीकल्याण आ0 प्रभु लाल जाति महाजन निवासी ग्राम देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी, राजस्थान
6. भगवान आ0 प्रभुलाल जाति महाजन निवासी ग्राम देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी, राजस्थान
7. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेडा जिली बून्दी।

.........प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्तावादीगणः- श्री अनिल खिडिया
अधिवक्ता अप्रार्थीः-

ह०

– : : निर्णय : : –

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88, 89 आरटी एक्ट एवं 136 एल आर एक्ट

प्रार्थना पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खाता संख्या नया 108 पुराना 98 खसरा संख्या 645 रकबा 1.1088 हैक्टेयर, व खसरा संख्या 709 रकबा 0.0567 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.1655 हैक्टेयर वाके ग्राम सेंदडी पटवार हल्का देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित है। जिसमें वादीगण खातेदार के रूप में दर्ज है। उपरोक्त वर्णित भूमि पर वादी अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है किन्तु पूर्व में वादीगण के पूर्वजों द्वारा रहन प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के पिता प्रभुलाल जी के रहन रख दी गई थी जिसे वादीगण के पिता ने उक्त कृषि भूमि को प्रतिवादीगण के पिता स्व0 प्रभुलाल जी से रहन मुक्त भी करवा ली थी किन्तु राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी से रहन नही हटवाया था। वादीगण के बाल्यावस्था में ही वादीगण के पिता गोपाल जी का देहांत हो चुका था उक्त भूमि वादीगण के पिता के देहांत के पूर्व में ही रहन चली आ रही है उक्त भूमि के रहन होने से वादीगण को केसीसी बनवाने व सरकारी एवं गैरसरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए उक्त भूमि को रहन मुक्त करवाना आवश्यक है। वादीगण ने दिनांक 20.11.2021 को प्रतिवादीगण से उक्त भूमि को रहन मुक्त करवाने का आग्रह किया जिसे प्रतिवादीगण ने इंकार कर दिया तथा रहन मुक्त करवाने से भी इंकार कर दिया। इस प्रकार उक्त दिनांक को वाद कारण उत्पन्न हुआ। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादीगण का वादपत्र स्वीकार फरमाकर वादीगण के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खाता संख्या नया 108 पुराना 98 खसरा संख्या 645 रकबा 1.1088 हैक्टेयर, व खसरा संख्या 709 रकबा 0.0567 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.1655 हैक्टेयर वाके ग्राम सेंदडी पटवार हल्का देहित तहसील तालेडा से प्रतिवादीगण का दर्ज राहिन का नोट हटाकर इन्द्राज दुरस्ती किये जाने हेतु तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जावे।

वादीगण की ओर से वाद पत्र के समर्थन में खाता संख्या नया 108 पुराना 98 खसरा संख्या 645 रकबा 1.1088 हैक्टेयर व खसरा संख्या 709 रकबा 0.0567 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.1655 हैक्टेयर वाके ग्राम सेंदडी पटवार हल्का देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी संवत 2076-2076 एवं मृत्यु प्रमाण पत्र श्री मोडु लाल मीणा का पेश किया।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण बाद तामील अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

वादीगण की ओर से वादी कमल प्रकाश आ0 गोपाल , वादी गेन्दबिहारी आ0 मोडुलाल, वादी कालुलाल आ0 मोडुलाल एवं वादी हेमराज आ0 मोडुलाल जाति मीणा निवासी सेंदडी ने साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किए।

वकील वादी द्वारा बहस हेतु लिखित बहस प्रस्तुत कर निवदेन किया कि वादीगण के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा सं0 645 रकबा 1.1088, खसरा सं0 709 रकबा 0.0567 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.1655 हैक्टेयर वाके ग्राम सेंदडी हल्का पटवार देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है। जिस पर वर्तमान में वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है उक्त भूमि पर पूर्व में प्रभुलाल वल्द चतुर्भुज कौम महाजन निवासी देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी का राहिन का नोट अंकित चला आ रहा है। वादीगण के पुर्वजो ने स्व0 प्रभुलाल का कर्ज अदा कर दिया था किन्तु पूर्वजो ने राहिन का नोट नही हटवाया चुंकि मोडुलाल जी की मुत्यु हो चुकी है। इस कारण मोडुलाल के वारिसान ने प्रभुलाल के वारिसान के विरुद्व राहिन हटाने के लिये वाद प्रस्तुत किया था। समस्त प्रतिवादीगण उक्त वाद में बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। उक्त जमाबन्दी में नोट होने के कारण वादीगण को बैंक ऋण एवं अन्य सरकारी सहायता प्राप्त नही हो रही है। जमाबन्दी संवत् 2076 प्रदर्श 1 है। इस प्रकार वादीगण न्यायालय श्रीमान् के आदेश से राहिन का नोट हटाने का अधिकारी है। जमाबन्दी में वादीगण का नियमानुसार विभाजन भी हो चुका है तथा वादीगण के बीच में कोई भी विवाद शेष नही है। अतः उक्त जमाबन्दी से मु0बि0क0

मोट हटाये जाने के आदेश फरमाये जाकर एक तहरीर तहसीलदार महोदय तालेडा को प्रेषित हो।

वाद लिखित पक्ष का अवलोकन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् एवं साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्रो का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं साक्ष्य शपथ पत्रो से स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी भूमि खाता सं. नया 108 पुराना 98 वाके ग्राम सेन्दडी पटवार मण्डल टेहित पर प्रभूलाल आ0 चतरभूज कौम महाजन सा0 टेहित का रहिन दर्ज रेकार्ड है एवं वादीगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। खातेदारो की खातेदारी अधिकार की भूमि पर पूर्व में ही किसी रहन को विलोपित किये जाने के निर्देश प्रदत्त है। अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने से वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

आदेश

परिणाम स्वरूप वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि भूमि खसरा खसरा संख्या 645 रकबा 1.1088 हैक्टेयर व खसरा संख्या 709 रकबा 0.0567 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.1655 हैक्टे0 वाके ग्राम सेन्दडी पटवार मण्डल टेहित तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित है पर दर्ज रहिन प्रभुलाल आ0 चतरभुज कौम महाजन के मोट को हटाया जावे। शेष रेकार्ड यथावत रखा जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 13.02.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(हरविन्दर डी. सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा